न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 146/2019
GCMS NO. : 2019/00231

–: प्रार्थी :– बनाम –: अप्रार्थीगण :–

प्रार्थी:

1. नारायणदान पुत्र हरलालदान जाति– चारण, निवासी– ग्यास, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज०।

बनाम

अप्रार्थीगण:

1. गुट्की पत्नी मंगाराम जाति– गुर्जर
2. पुष्पाकंवर पत्नी सहदेवसिंह जाति– चारण निवासीगण– ग्यास
3. गंगाराम पुत्र पेमा जाति– कुम्हार, निवासी– प्रतापपुरा, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज०।
4. जयदेवसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति– चारण, निवासी– ग्यास, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज०।
5. तहसीलदार जैतारण जिला पाली राज०।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955   **तारीख रजू:.07/10/2019**

उपस्थितः–

1. श्री रामस्वरुप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री देवाराम कटारिया, श्री अरूण सिंह राठौड़, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::–   **दिनॉकः– 23/12/2021**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा ग्यास पटवार हल्का बलाड़ा तहसील– जैतारण जिला पाली राज० में प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 154/2 रकबा 37–12 बीघा आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी का मूल खसरा 154 था, जिसमें आपस बंटवाड़ा होनें से प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 154/2 रही। नकल जमाबन्दी प्रार्थनापत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। उसमें जाने के लिये प्रार्थी वर्षो से अपने पूर्वजों के समय से खसरा नम्बर 150 से होते हुये मूल खसरा 154 में आता जाता था तथा आगे अपने हक हिस्से की आराजी में जाता था। प्रार्थी द्वारा जहां पूर्व समय से अपनी आराजी में आने जाने के लिये प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में [illegible] से बी भाग दर्शाया गया है। उसमें खसरा नम्बर 150 जिसके खातेदारों ने आपस में बंटवाड़ा कर लिया तथा जिसमें से प्रार्थी अपनी भूमि में जाने के लिये रास्ते का उपयोग [illegible] करता वह रास्ता अप्रार्थी संख्या एक गुटकीदेवी का एक हिस्सा व अधिकार की भूमि है जो खसरा नम्बर 150 का ही भाग है जो नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

है और इससे आगे खसरा नम्बर 154 का भू भाग है जो अप्रार्थी संख्या 2 के हक हिस्से की भूमि है और यहां तक प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता है जो नक्शे में मार्क ए से बी भाग दर्शाया गया है तथा पहले भी यह रास्ता चलता था परन्तु पिछले काफी समय से अप्रार्थीगण ने इस रास्ते को तारबन्दी व मेडबन्दी करके बंद कर दिया है। इसलिय अब प्रार्थी को अपनी आराजी में जाने के लिये कोई मौके पर रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी को अपनी आराजी में जाने के लिये एक मात्र रास्ता जो नजरी नक्शे में मार्क ए से बी लाल रंग से दर्शाया गया है। प्रार्थनापत्र के साथ नजरी नक्शा प्रस्तुत है। जिसे प्रार्थनापत्र एक आवश्यक भाग माना जावें। दिनांक 20.09.2019 को प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में खडी फसल में पेस्टिसाइज दवाईयों का छिटकांव करनें के लिये टैक्टर लेकर जाने लगा तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को इस रास्ते से जाने स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया तथा मौके पपर तारबन्दी करके रास्ते को पूर्ण रूप से अवरूद्ध कर दिया तो प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये भारी समस्या हो गयी प्रार्थी अपनी भूमि में फसल की कटाई करनें, खेत की खड़ाई करनें में वाहन टैक्टर इत्यादि को लानें ले जाने के लिये प्रार्थी को भारी कठनाईयां को सामना करना पड़ रहा है क्योंकि प्रार्थी के पास नजरी नक्शे में बताये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है कि जिससे प्रार्थी अपनी भूमि में आ जा सके। क्योंकि मार्क ए से बी नजरी नक्शें में प्रस्तावित रास्ता बताया गया है। इससे आगे प्रार्थी को अपनी आराजी में जाने हेतू रास्ता मौजूद है लेकिन अप्रार्थीगण ने मिलकर अपने हक हिस्से की भूमि में से गुजरने वाले लाल स्याही से वर्णित रास्ता मौजूद नहीं है। इसलिये प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने के लिये नजरी नक्शे में बताये मार्क ए से बी लाल रंग के रास्ते को रास्ता कायम किया जावें तथा मौके पर भी रास्ता खुलवाया जावें जिससे की प्रार्थी अपनी आराजी में आ जा सके। प्रार्थी अपने हक हिस्से की भूमि में वर्षो से खसरा नम्बर 150 व 154 व प्रार्थी संख्या दो के हक हिस्से की भूमि में से होकर आता जाता रहा हैं परन्तु अब अप्रार्थीगण संख्या एक व दो ने यह कहकर रास्ते को बन्द कर दिया कि यह रास्ता रेकर्ड में नही है। इसलिये हम इस रास्ते को आपको उपयोग उपभोग नहीं करनें देंगे। अब प्रार्थी को अपनी आराजी में जाने के लिये कोई अन्य वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था नहीं है। इसलिये प्रार्थी के पास नजरी नक्शें में लाल स्याही से वर्णित रास्ते को रेकर्ड में तरमीम करवाकर मौके पर खुलवाने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहनें से प्रार्थी ने दिनांक 20.09.2019 को अप्रार्थीगण से निवेदन किया है कि वह उसे अपनी आराजी में आने जाने दे इसके बदले वह जमीन या जो भी राशि है वो देने को तैयार है परन्तु फिर भी अप्रार्थीगण स्पष्ट रूप से इंकार हो गये इसलिये प्रार्थी के पास राजस्व रेकर्ड में उक्त रास्ते को कायम करनें के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहनें से यह प्रार्थनापत्र [illegible] दिलाने रास्ता का श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। दिनांक 20.0[illegible] द्वारा माना करनें के पश्चात् प्रार्थी अपनी भूमि में आ[illegible] इसलिये प्रार्थी की सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड में नकलें प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या एक व[illegible]ी के हक हिस्से क भूमि में जो कि पूर्व में रास्ता चल रहा था व अब सबसे नजदीक व सुलभ रास्ता है जिसको

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:09 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवानें बाबत् यह प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष अन्दर म्याद पेश है। प्रार्थी अप्रार्थी की भूमि में नजरी नक्शे में बताये मार्क ए से बी लाल स्याही से जो रास्ता प्रस्तावित बताया है उस प्रस्तावित रास्ते बाबत् बनने वाली धनराशि प्रार्थी संदेय करने का तत्पर है और विकल्पेन अप्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली जमीन के एवज में प्रार्थी से जमीन चाहते है एवं तत्पर है। इसलिये नजरी नक्शे में वर्णित मार्क ए से बी जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है। उस रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम कर मौके पर खुलवाया जावे जिससे प्रार्थी अपनी आराजी में काश्त आदि कार्य कर सकें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 02 व 03 को बार बार आवाजें दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहनें से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही गई। अप्रार्थीगण 01 व 04 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत हुआ, जो सामिल मिसल है। अप्रार्थीगण संख्या 01 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो कि निम्नलिखित है प्रार्थनापत्र के पद संख्या 01 अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 02 में वर्णित तमाम तथ्य गलत होनें से अस्वीकार है। क्योंकि अप्रार्थीगण संख्या 01 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 150 है जो कि अप्रार्थीया की स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि है। जिसमें से रास्ता मांगना गलत है। क्योंकि प्रार्थीगण का रास्ता सुविधा के हिसाब से गांव ग्यास से राबड़ियावास जाने वाले मुख्य रास्ते के खसरा संख्या 151 व 152 है। जहां से आराजी से रास्ता निकल सकता है व प्रथम विकल्प उक्त खसरान् ही है। प्रार्थीगण का कथन की पूर्व में खसरा संख्या 150 से कोई रास्ता गुजरता था उनका कथन सरासर गलत है। खसरा संख्या 150 में मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है व नजरी नक्शा गलत पेश किया है व कतई रास्ता देनें योग्य नहीं है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 03 में वर्णित तमाम तथ्य गलत व अस्वीकार्य है क्योकि जब मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता ही नही था है तो अवरूद्ध करनें का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थीगण पूर्व रिटायर्ड राजस्व अधिकारी है जिन्होने गलत नक्शा बनाकर पेश किया है व उसकी जमीन में जाने के लिये प्रथम विकल्प खसरा संख्या 151 व 152 है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 04 में वर्णित तमाम तथ्य गलत व अस्वीकार्य है खसरा संख्या 150 व 154 में मौके पर बंटवाड़ा नहीं हो रखा है व नहीं कभी रास्ता मौजूद थ दिनांक 20.09.2019 को अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता बंद करनें का कथन सरासर गलत है क्योंकि मौके पर किसी प्रकार कोई रास्ता नहीं हैं व न ही प्रार्थीगण उक्त खसरान् में कानूनन रास्ता मांगने का अधिकारी है न ही वक्त सेटलमेन्ट से आज दिन तक मौके पर कोई रास्ता नहीं था केवल अप्रार्थीगण को परेशान करनें के लिये झूठा प्रार्थनापत्र पेश किया जो काबिल अपास्त के है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 05, 06, 07 व 08 में में वर्णित तमाम तथ्य गलत व अस्वीकार्य है। प्रार्थनापत्र में वर्णित सभी [illegible] अप्रार्थीगण की भूमि से प्रार्थीगण राजस्व काश्तकारी अधिनियम की धारा [illegible] के तहत रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, प्रार्थनापत्र काबिल अपास्त के है। अप्रार्थीगण संख्या 04 जवाब प्रार्थनापत्र पेश नहीं करना चाहते है, जवाब प्रार्थनापत्र बन्द किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

तहसीलदार जैतारण की जांच व मौका रिपोर्ट पत्रांक क्रमांक/भू.अ. /20/3063 दिनांक 11.09.2020 के अनुसार प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी तक पहुंचने के लिये वर्तमान में किसी प्रकार का रास्ता विकल्प नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता आंत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता के मध्य नाड़ी के रूप में काम आ रही ही खसरा नम्बर 153 किस्म गैर मुमकिन नाड़ी स्थित है। रास्ते का प्रस्तावित निकटतम विकल्प का नजरी नक्शा पटवारी फर्द मौका रिपोर्ट में दर्शाया गया है। प्रस्तावति रास्ता खसरा नम्बर 151 में 18 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 152 में 06 बिस्वा है जिसकी चौड़ाई 02 गट्ठा है। तहसील राजस्व लेखाकार की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को दिये जाने वाले रास्ते की प्रभावित भूमि की डी0एल0सी0 दर 1,77,900 रूपये प्रति हैक्टर है। जिससे रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की मुआवजा राशि 69,200 रू दिया जाना अपेक्षित है।

बहस वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर सुनी गई। बहस समायत कि गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर बहस वकील प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया।

1. प्रार्थी खातेदार द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर यह निवेदन किया हैं कि उसकी ग्राम ग्यास पटवार हल्का बलाड़ा की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 154/2 रकबा 37-12 बीघा तक पहुंच के लिये वर्तमान में कोई अभिलिखित रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः नियमानुसार रास्ता प्रदान कर उसका तरमीम करावें।

2. अप्रार्थी संख्या 01 गुट्की देवी ने जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि उसकी खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 150 है। जिस में से रास्ता मांगना गलत हैं, क्योंकि प्रार्थीगण का रास्ता ग्यास राबड़ियावासा मुख्य रास्ते के खसरा नम्बर 151 एवं 152 दिया जाये। खसरा संख्या 150 में से कोई रास्ता वर्तमान में चलायमान नहीं है। तथा खसरा संख्या 150 एवं 154 में सहखातेदारों के मध्य कोई बंटवाड़ा नहीं हो रखा है। यदि खसरा संख्या 151 व 152 में से रास्ता दिया जायें तो अप्रार्थी संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है।

3. अप्रार्थी संख्या 03 स्वयं उपस्थित हुये लेकिन कोई जवाबप्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करनें से जवाब प्रार्थनापत्र बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 04 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा जवाब नहीं देना चाहते है का कथन करते हुये आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अतः अप्रार्थी संख्या 4 का जवाब प्रार्थनापत्र बन्द किया गया।

4. राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए में निम्नलिखित विधिक प्रावधान है:-

रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 (क) में कानूनी प्रावधान निम्नानुसार है:-

251- क "अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना सा विद्यमान मार्ग का विस्तार [illegible] जहां

(क)- कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

(ख)– कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि–

(A)– यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(B)– अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2)– जहां–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3)– वे व्यक्ति, जिनको उपधारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251ए में यह आज्ञापक विधिक आवश्यकता है कि रास्ता इसी दशा में स्वीकृत किया जा सकता है, जबकि उसकी आत्यंतिक आवश्यकता हो साथ ही कोई भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो।

5. प्रकरण में भू अभिलेख निरीक्षक बलाड़ा से मौका एवं तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। भू अभिलेख निरीक्षक बलाड़ा द्वारा प्रेषित मौका एवं तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन दिनांक 10.07.2020 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 154/2 तक पहुंच के लिये कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता आत्यंतिक आवश्यकता का है। प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 154/2 तक पहुंच के लिये न्यूनतम एवं निकटतम रास्ता ग्यास

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

राबड़ियावास अभिलिखित रास्ता से खसरा संख्या 151 व 152 के पूर्व दिशा की माठ के सहारे खसरा संख्या 151 में 18 बिस्वा व खसरा संख्या 152 में से 06 बिस्वा है जिसकी चौड़ाई 02 गठ्ठा यानि 13 फिट है, जो मौका फर्द में लाल स्याही से मार्क ए, बी, सी, डी, अंकित है। टी. आर. ए. तहसील कार्यालय जैतारण की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को दिये जाने वाले रास्ते की प्रभावित भूमि की डी0एल0सी0 दर 1,77,900 रूपये प्रति हैक्टर है। जिससे रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की मुआवजा राशि 69,200 रू दिया जाना अपेक्षित है।

6. कानूनन प्रार्थी खातेदार की मांग पर 13 फीट चौड़ा रास्ता बतौर गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुये ग्राम ग्यास के अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 151 व 152 के पूर्व दिशा की तरफ की सीमा के सहारे नजरी नक्शे में दर्शाये अनुरूप ग्राम ग्यास से राबड़ियावास मुख्य मार्ग से प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 154/2 रकबा 37-12 बीघा तक पहुंच के लिये अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 151 की भूमि में से 18 बिस्वा तथा खसरा संख्या 152 की भूमि में से 06 बिस्वा जिनकी चौड़ाई 02 गठ्ठा हैं, भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी में से कम की जाकर गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाना एवं जिसके प्रतिकर राशि स्वरूप राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70 के प्रावधान अनुसार प्रचलित डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि अर्थात प्रभावित ग्राम ग्यास के खसरा संख्या 151 व खसरा संख्या 152 की डी.एल.सी. दर 28,800/- रूपयें प्रति बीघा से दुगुना अर्थात 57,600 रूपयें प्रति बीघा की दर से रास्ते के लिये प्रयुक्त कुल भूमि 24 बिस्वा की प्रतिकर राशि 69,200/- रूपयें निर्धारित कि जाती है, जिसमें से अनुपातिक रूप से खसरा संख्या 151 के खातेदार गंगाराम पुत्र पेमा जाति- कुम्हार निवासी- प्रतापपुरा को 18 बिस्वा भूमि के लिये प्रतिकर राशि स्वरूप 51,900/- रूपयें मात्र एवं खसरा संख्या के खातेदार जयदेव सिंह पुत्र भैरू सिंह चारण निवासी ग्यास को 06 बिस्वा भूमि के लिये प्रतिकर राशि स्वरूप 17,300/- रूपयें का भुगतान प्रार्थी से लेकर अप्रार्थीगण को किया जाना है। अप्रार्थीगण संख्या 03 के खातेदारी खसरा नम्बर 151 के कुल रकबा 27-19 बीघा में से 18 बिस्वा तथा अप्रार्थीगण संख्या 04 के खातेदारी खसरा संख्या 152 रकबा 07-12 बीघा में से 06 बिस्वा भूमि उक्त खसरान् के पूर्व दिशा की माठ के सहारे भू अभिलेख निरीक्षक बलाड़ा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट दिनांक 10.07.2020 के अनुरूप सार्वजनिक रास्ता कायम करने के आदेश दिए जाने एवं उक्त राशि वसूल करने के पश्चात् ही रास्ता कायम कर मौके एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें तथा सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी ग्राम ग्यास तहसील जैतारण जिला- पाली, राज0 खसरा संख्या 154/2 रकबा 37-12 बीघा तक पहुंच मार्ग के लिये ग्राम ग्यास से राबड़ियावास मुख्य मार्ग से अप्रार्थी संख्या 03 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 151 की भूमि में से पूर्वी

Signature Not Verified
Digitally Signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सीमा की माठ के सहारे 18 बिस्वा तथा अप्रार्थी संख्या 04 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 152 की भूमि में से पूर्वी सीमा की माठ के सहारे 06 बिस्वा अर्थात् रकबा 01-04 बीघा भूमि जिसकी चौड़ाई 02 गठ्ठा है, अर्थात् कुल चौड़ाई 13 फीट है, भू-अभिलेख निरीक्षक बलाड़ा के प्रस्तावित नजरी नक्शे के अनुरूप में से खातेदारान की अभिधृति निर्वापित करते हुए, इसका रकबा खातेदारी भूमि में से कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता सिवाय चक स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता भूमि की प्रतिकर राशि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर अर्थात् 28,800/- रूपये प्रति बीघा की दुगुनी मानते हुये रास्ते हेतु प्रयुक्त एवं प्रभावित आराजी में से कम किया गया कुल रकबा 01-04 बीघा के लिये कुल प्रतिकर राशि 69200/- रूपये (अक्षरे उनहत्तर हजार दो सौ रूपये मात्र) निर्धारित करते हुए तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित प्रतिकर राशि प्रार्थी से प्राप्त कर खसरा संख्या 151 के खातेदार गंगाराम पुत्र पेमा जाति- कुम्हार निवासी- प्रतापपुरा को 18 बिस्वा भूमि के लिये प्रतिकर राशि स्वरूप 51,900/- रूपयें मात्र एवं खसरा संख्या 152 के खातेदार जयदेव सिंह पुत्र भैरू सिंह चारण निवासी ग्यास को 06 बिस्वा भूमि के लिये प्रतिकर राशि स्वरूप 17,300/- रूपयें का भुगतान करें। सम्बन्धि खातेदारान् द्वारा राशि प्राप्त नहीं करनें पर उसे तब तक जमा रखें जब तक ऐसे खातेदार/वारिसान ऐसी राशि प्राप्त नहीं कर लें। ऐसी राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार, जैतारण भू-अभिलेख में अमल-दरामद कर मौके पर सीमाँकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावें। तहसीलदार जैतारण को तहरीर जारी हों। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-पाली)
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 23/12/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-पाली)
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:09 IST
Reason: SelfAttested